

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील बड़सर,
जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

शीला देवी

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की जेर धारा 13(3) के अन्तर्गत नाम व जन्म तिथि पंजीकरण बारे।

प्रार्थिया श्रीमती शीला देवी पुत्री स्व० श्री गुलाबू राम, निवासी गांव रोपा राजपूतां, डाकघर जौड़े अम्ब, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने नियमानुसार अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन पत्र दायर किया है कि उसका जन्म दम्पति श्री गुलाबू राम व राम आसरी के परिवार में दिनांक 07-03-1967 को हुआ है, परन्तु उस समय अज्ञानतावश उसका नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत जौड़े अम्ब के अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। प्रार्थिया का आवेदन है कि सचिव ग्राम पंचायत जौड़े अम्ब को उसके नाम व जन्म तिथि पंजीकरण बारे आदेश दिए जावें।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण व आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी श्रीमती शीला देवी पुत्री स्व० श्री गुलाबू राम के नाम एवं जन्म तिथि 07-03-1967 पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह अपना उजर अधोहस्ताक्षरी की अदालत/कार्यालय बड़सर में किसी भी कार्य दिवस को असालतन या वकालतन दिनांक 25-03-2026 से पूर्व कर सकता है। उक्त वर्णित दिनांक के उपरांत पेश कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा व आवेदन-पत्र पर नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

यह नोटिस आज दिनांक 05-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बड़सर, जिला हमीरपुर (हि०प्र०)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील बड़सर,
जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री दिनेश कुमार पुत्र ऋषि राम, वासी महाल गुर्याह कलां, तप्पा गारली, तहसील बड़सर, जिला
हमीरपुर (हि०प्र०) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—प्रार्थना-पत्र बाबत मकफूद-उल-खबरी।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री ऋषि राम, वासी महाल गुर्याह कलां, तप्पा गारली, जोकि प्रार्थी का भाई है जो 23 वर्षों से लापता है तथा उसका आज तक जीवित या मृत होने का कोई प्रमाण न है। प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र में वर्णित किया है कि श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री ऋषि राम मजकूर के नाम महाल गुर्याह कलां, तप्पा गारली, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) में भूमि दर्ज कागजात माल है। जिसके लिए प्रार्थना-पत्र अनुसार आरजी उनके वारसन के नाम दर्ज कागजात माल की जानी है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति विशेष को कोई भी एतराज हो या उसके जीवित होने बारे किसी को कोई जानकारी हो या श्री सुरेश कुमार जीवित है और इस इशतहार को स्वयं पढ़े तो वह दिनांक 30-03-2026 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकते हैं अन्यथा उक्त दिनांक के बाद इस इंतकाल को उसके उपरोक्त जायज वारसान के नाम तस्दीक कर दिया जाएगा उक्त वर्णित दिनांक के उपरान्त पेश कोई भी एतराज मान्य न समझा जाएगा व आवेदन पत्र पर नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

यह इशतहार आज दिनांक 06-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बड़सर, जिला हमीरपुर(हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील बड़सर,
जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती सोमा देवी पत्नी श्री रत्न चंद, वासी महाल मडहोट, तप्पा रांसडा, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—प्रार्थना-पत्र बाबत मकफूद-उल-खबरी।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थिया ने दावा किया है कि श्री रत्न चंद पुत्र श्री सीता राम, वासी महाल मडहोट, तप्पा रांसडा, जोकि प्रार्थिया का पति है जो 36 वर्षों से लापता है तथा उसका आज तक जीवित या मृत होने का कोई प्रमाण न है। प्रार्थिया ने प्रार्थना-पत्र में वर्णित किया है कि श्री रत्न चंद पुत्र श्री सीता राम मजकूर के नाम महाल मडहोट, तप्पा रांसडा, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) में भूमि दर्ज कागजात माल है। जिसके लिए प्रार्थना-पत्र अनुसार आरजी उनके वारसन के नाम दर्ज कागजात माल की जानी है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति विशेष को कोई भी एतराज हो या उसके जीवित होने बारे किसी को कोई जानकारी हो या श्री रत्न चंद जीवित है और इस इशतहार को स्वयं पढ़े तो वह दिनांक 30-03-2026 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकते हैं अन्यथा इस तिथि के बाद इस इंतकाल को उसके उपरोक्त जायज वारसान के नाम तस्दीक कर दिया जायेगा उक्त वर्णित दिनांक के उपरान्त पेश कोई भी एतराज मान्य न समझा जाएगा व आवेदन पत्र पर नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

यह इशतहार आज दिनांक 06-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बड़सर, जिला हमीरपुर(हि0प्र0) ।

**In the Court of Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar Dhatwal at Bijhari,
Distt. Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

Partap Singh

Versus

General Public

Notice to General Public.

Partap Singh s/o Sh. Munshi Ram, r/o Village Paplohal Brahmna, P.O. Dandwin, Tehsil Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur, H.P. has applied in this office for the entry of his date of birth which has taken place on 04-03-1963 but due to ignorance the same could not be entered in Gram Panchyat Dandwin. The applicant in support of the facts of the event has submitted the requisite documents and the same have been perused accordingly.

General public is hereby informed through this notice that if any person is having any objection regarding the date of birth of applicant which is 04-03-1963, they can file their objections either in writing or through their counsel with in a period of 30 days from the date of issue of this notice, if no objection is received from any person regarding the date of birth which is 04-03-1963 the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 03-03-2026.

Seal.

Sd/-
*Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar,
Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).*

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दडाधिकारी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

केस नम्बर	किस्म मुकद्दमा	दायर तिथि	आगामी तारीख पेशी
07 / 2026	इन्द्राज मृत्यु तिथि	05-03-2026	25-03-2026

श्रीमती मंगला देवी पुत्री धनिया उर्फ खोदलू निवासी वार्ड नम्बर 5, सुजानपुर, तहसील सुजानपुर,
जिला हमीरपुर (हि0प्र0) प्रार्थिया ।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी ।

विषय.— प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 श्री धनिया उर्फ खोदलू उर्फ धनी राम उर्फ खोदल पुत्र सेवक, निवासी वार्ड नम्बर 5, सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) के सम्बन्ध में इशतहार/सूचना/मुश्री मुनादी आदि।

श्रीमती मंगला देवी पुत्री धनिया उर्फ खोदलू निवासी वार्ड नम्बर 5, सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) द्वारा आवेदन पत्र शपथ—पत्र व अन्य सम्बंधित दस्तावेजों/रिकार्ड सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। जिसमें उल्लेख है कि श्री धनिया उर्फ खोदलू उर्फ धनी राम उर्फ खोदल पुत्र सेवक, निवासी वार्ड नम्बर 5, सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) जोकि उसके पिता थे और उनकी मृत्यु दिनांक 05-05-1962 को हुई थी, जो कि अज्ञानतवश सम्बंधित नगर परिषद सुजानपुर के जन्म व मृत्यु रजिस्टर में आज दिन तक दर्ज नहीं हुई है। अतः प्रार्थिया अपने पिता की मृत्यु तिथि की घटना का पंजीकरण नगर परिषद सुजानपुर के जन्म व मृत्यु रजिस्टर के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार/मुश्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त श्री धनिया उर्फ खोदलू उर्फ धनी राम उर्फ खोदल पुत्र सेवक, निवासी वार्ड नम्बर 5, सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की मृत्यु की घटना दिनांक 05-05-1962 का पंजीकरण नगर परिषद सुजानपुर के जन्म व मृत्यु रजिस्टर के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन व वकालतन दिनांक 06-04-2026 को इस अदालत में प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर अपना उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उक्त प्रार्थिया के पिता की मृत्यु तिथि 05-05-1962 की घटना का पंजीकरण नगर परिषद सुजानपुर के जन्म व मृत्यु रजिस्टर के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे तथा बाद में किसी भी प्रकार का कोई उजर मान्य नहीं होगा।

आज दिनांक 05-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दंडाधिकारी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।
